संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक /संचा./विविध/स्काई/2018/1336 नया रायपुर, दिनांक 15/05/2018

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त)
   नगर पालिक निगम
   छत्तीसगढ़

2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त)
   नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत
   छत्तीसगढ़

विशयः— छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना का क्रियान्वयन।

संदर्भः— चिप्स कार्यालय का पत्र क्र. 931/मुकाअ/चिप्स/2018 दिनांक 10/05/2018

---00---

विषयांकित संदर्भ में **छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई)** की क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका एवं शासनगत् आदेश संलग्न है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित समय—सीमा में जिला कलेक्टर के दिशा—निर्देश एवं मार्गदर्शन में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से संचालनालय को अवगत करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(निरंजन दास)
संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्रमांक /संचा./विविध/स्काई/2018/1337 नया रायपुर, दिनांक 15/05/2018

प्रतिलिपिः

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी. विभाग महानदी भवन, नया रायपुर ।
3. सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. कलेक्टर (समस्त), छत्तीसगढ़।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
7. संयुक्त संचालक, (समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि योजना की प्रगति की सतत् समीक्षा की जाकर समय–समय पर इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 15/05/2018

क्रमांक 3761/3567/2018/18 राज्य शासन एतद् द्वारा **'छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई)'** के क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शिका की कंडिका 7.1.2 के अंतर्गत शहरी गरीब परिवार को निम्नानुसार परिभाषित करता है:–

1. ऐसे नगरीय निकाय जो वर्ष 2007–08 में शहरी गरीब परिवारों हेतु कराये गये सर्वेक्षण से पूर्व से अस्तित्व में थे, उन नगरीय निकायों के लिए वर्ष 2007–08 में जारी बीपीएल सूची अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार।
2. ऐसे नगरीय निकाय अथवा वार्ड जो वर्ष 2007–08 में शहरी गरीब परिवार हेतु कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात् अधिसूचित किये गये हैं, उन नगरीय निकायों/वार्डों के लिए वर्ष 2002–03 में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी बीपीएल सूची अनुसार गरीबी रेखा से जीवन–यापन करने वाले परिवार।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/5
(एच.आर.दुबे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक .../2018/18 नया रायपुर ... 2018

प्रतिलिपिः

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन विकास विभाग।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर।
3. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंव सूचना प्रौद्योगिकी. विभाग महानदी भवन, नया रायपुर ।
4. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़।
10. समस्त महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम, छत्तीसगढ़।
11. समस्त अध्यक्ष/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, छत्तीसगढ़।
12. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन नया रायपुर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल हेतु।

15/5

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन,
सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़

फोन 0771-4014158 फैक्स 0771-4066205 ई-मेल ceochips@nic.in

क्रमांक 931/मुकाअ/चिप्स/2018 रायपुर, दिनांक 10/05/2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला – ————
छत्तीसगढ़

विषय– संचार क्रांति योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों का पंजीयन एवं चिन्हांकन के संबंध में।

—0—

उल्लेखित है कि संचार कांति योजना के अन्तर्गत कुल 50 लाख हितग्राहियों को मोबाईल फोन का वितरण किया जाना प्रस्तावित है, स्मार्ट फोन के वितरण के पूर्व निम्नलिखित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

गतिविधियों की विस्तृत जानकारी समय-सीमा के साथ निम्नलिखित है।

क्र.	मुख्य गतिविधियां	समय-सीमा
1	हितग्राहियों की ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन	18 मई 2018
2	ड्राफ्ट सूची में वर्णित हितग्राहियों का आवेदन पत्र भरवाना	18 मई 2018 – 25 मई 2018
3	भरे हुए आवेदन पत्र की स्काई पोर्टल में प्रविष्ट	19 मई 2018 – 28 मई 2018
4	हितग्राहियों की ड्राफ्ट सूची पर दावा आपत्ति आमंत्रित करना	18 मई 2018 – 20 मई 2018
5	नये हितग्राहियों के नाम का ग्राम सभा/संबंधित विभाग द्वारा अनुमोदन	21 मई 2018 – 23 मई 2018
6	नये हितग्राहियों का आवेदन पत्र भरवाना	24 मई 2018 – 26 मई 2018
7	नये हितग्राहियों के भरे हुए आवेदन पत्र की स्काई पोर्टल में प्रविष्टि	29 मई 2018 – 3 जून 2018
8	अस्वीकृत हितग्राहियों के नाम एवं कारणों की स्काई पोर्टल में प्रविष्टि	31 मई 2018 – 2 जून 2018
9	हितग्राहियों की अंतिम चयन सूची का प्रकाशन	03 जून 2018

कृपया उपरोक्त गतिविधियां वर्णित समय-सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़

संचार क्रांति योजना

मार्ग दर्शिका

जनवरी

छत्तीसगढ़ इन्फोटेक

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	योजना का परिचय	3
2.	योजना का उद्देश्य	3
3.	योजना की अवधि	4
4.	योजना के हितग्राही	4
5.	योजना का क्रियान्वयन	4
6.	प्रमुख हितधारक (Stakeholders)	5
7.	हितग्राहियों की पात्रता	6
8.	स्काई पोर्टल	7
9.	प्रशिक्षण	8
10.	योजना का प्रचार–प्रसार	8
11.	कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित कार्य	8
12.	मोबाईल टॉवर की स्थापना के लिए राईट ऑफ वे संबंधित कार्य	10
13.	विकासखंड स्तरीय सेवा तथा संग्रहण केन्द्र	10
14.	हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा चयन	11
15.	स्मार्टफोन का वितरण	13
16.	वितरण में बचे हुए स्मार्टफोन का पुनः वितरण	17
17.	मोबाईल की वारंटी	21

परिषिष्ट

1.	छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना की अधिसूचना	22
2.	राज्य के आंशिक/अनकनेक्टेड ग्राम पंचायतों की सूची (प्रारूप)	28
3.	हितग्राही के पंजीयन की प्रक्रिया	29
4.	हितग्राहियों के पंजीयन फॉर्म का प्रारूप	33
5.	स्मार्ट फोन वितरण के लिए वृहद वितरण योजना	34

संचार क्रांति योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला प्रशासन के लिए मार्गदर्शिका

1. **योजना का परिचय–**

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में मोबाइल फोन का सबसे कम घनत्व है, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 29 प्रतिशत परिवारों के पास फोन है, जबकि देश का औसत 72 प्रतिशत है। 10 जिलों में 50 प्रतिशत से भी कम नेटवर्क कव्हरेज है, वहीं 4 ऐसे जिले हैं, जहाँ कव्हरेज 15 प्रतिशत से कम है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 'छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना' (स्काई) लागू की गयी है। छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना अंतर्गत मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने और परिवारों के लिए मोबाईल डिवाईस की उपलब्धता बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। मोबाइल के इस्तेमाल से कृषि एवं अन्य व्यापार आसान होंगे। इसके कई सामाजिक फायदे भी होंगे, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं, कानून व्यवस्था (डायल 102), पीडीएस आदि का क्रियान्वयन और भी प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा। ई–सेवाएं संभव हो सकेगी एवं शहरी तथा ग्रामीण छत्तीसगढ़ के बीच की डिजिटल दूरी कम होगी। इस योजना पर राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है। इस अधिसूचना की कंडिका क्रमांक 2 पर योजना के उद्देश्य, क्रमांक 3 पर योजना की अवधि तथा क्रमांक 6 पर योजना के भौतिक लक्ष्य दर्शाये गये हैं।

2. **योजना का उद्देश्य–**

2.1 राज्य के मोबाइल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदान करना।

2.2 स्मार्ट फोन के उपयोग के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना।

2.3 मोबाइल के उपयोग से महिला सशक्तिकरण का कार्य करना।

2.4 सभी को डिजिटल डिवाईस से जोड़ कर डिजिटल पहचान प्रदान करना।

2.5 जन धन, आधार और स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लागू करना।

2.6 डिजिटल भुगतान के माध्यम से वित्तीय समावेश एवं बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना।

2.7 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना।

3. **योजना की अवधि–**

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंषिक रुप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019–20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहां मोबाईल कवरेज उपलब्ध नही है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

4. **योजना के हितग्राही–**

4.1 इस योजनांतर्गत लक्षित हितग्राही निम्नानुसार हैः–

चरण	हितग्राही	अनुमानित संख्या	कुल
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंषिक रुप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	40.1 लाख	50.8 लाख
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019–20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	4.8 लाख	4.8 लाख
योग			55.6 लाख

5. **योजना का क्रियान्वयन–**

5.1 राज्य शासन द्वारा इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) को बनाया गया है।

5.2 इस योजना का क्रियान्वयन/संचालन इस मार्गदर्शिका के अनुरुप किया जाएगा।

6. प्रमुख हितधारक (Stakeholders)–

6.1 **चिप्स**– राज्य शासन द्वारा चिप्स को इस परियोजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी मनोनीत किया गया है।

6.2 **परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)**– इस परियोजना के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में सहयोग करने के लिए चिप्स द्वारा एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है।

6.3 **जिला प्रषासन**– योजना के सफल क्रियान्वयन करने में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्य रुप से हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण करने, सामान्य शिकायतों के निवारण तथा योजना का मूल्यांकन करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा।

6.4 **सामान्य सेवा केन्द्र (Common Services Center - CSC)**– जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न ग्रामों में लोक सेवा केन्द्र प्रारंभ किये गये है, जो सामान्य सेवा केन्द्र रुप में कार्यरत हैं। इन केन्द्रों का उपयोग परियोजना अंतर्गत स्काई पोर्टल पर हितग्राहियों का पंजीयन एवं जानकारी अपडेट करने हेतु किया जायेगा।

6.5 **नोडल अधिकारी** – जिला प्रशासन द्वारा इस परियोजना के लिए जिला प्रशासन द्वारा नोडल अधिकारी मनोनीत किए जायेंगे। यह नोडल अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत/ वितरण केन्द्र, नगरों के वार्ड/ वितरण केन्द्र, प्रत्येक महाविद्यालयीन वितरण केन्द्र, विकासखण्ड मुख्यालय, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत एवं जिला मुख्यालय के लिए किये जायेंगे। नोडल अधिकारियों के मुख्य दायित्व इस प्रकार होंगे –

6.5.1 हितग्राहियों का चिन्हांकन करना।

6.5.2 हितग्राहियों का पंजीयन करना।

6.5.3 चयनित हितग्राहियों की अंतिम सूची पर अनुमोदन प्राप्त करना।

6.5.4 हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण करना।

6.5.5 हितग्राहियों से प्राप्त शिकायतों का निवारण करना।

6.5.6 उच्च अधिकारियों को समय–समय पर रिपोर्ट करना।

6.5.7 जिला प्रशासन प्रत्येक नोडल अधिकारी की जानकारी स्काई पोर्टल पर उपलब्ध करायेगा।

6.5.7 इन नोडल अधिकारियों के लिए जिले की परिस्थितियों के अनुरूप दिशा निर्देश जिला प्रशासन जारी करेगा।

6.6 **कंसोर्टियम–** चिप्स द्वारा खुली एवं पारदर्शी निविदा के माध्यम से कंसोर्टियम का चयन किया जायेगा। इस कंसार्टियम में एक टेलीकॉम सेवा प्रदाता एवं एक स्मार्ट फोनं आपूर्तिकर्त्ता होगें। यह कंसोर्टियम राज्य में मोबाईल टॉवर लगाने, अपग्रेड करने तथा हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण एवं वितरण उपरांत सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. हितग्राहियों की पात्रता–

7.1 राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में हितग्राहियों को परिभाषित किया गया है। जो इस प्रकार होंगे–

7.1.1 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिन्हित ग्रामीण परिवार।

71.2 नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार।

7.1.3 तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज में प्रवेशित विद्यार्थी।

7.2 उपरोक्त अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाना है जिसके लिए प्रक्रिया इस प्रकार है –

7.2.1 ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र– प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया को एक स्मार्ट फोन प्रदान किया जायेगा। जिसका प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा–

7.2.1.1 प्राथमिकता 1– परिवार की महिला प्रमुख।

7.2.1.2 प्राथमिकता 2– यदि परिवार में महिला प्रमुख नहीं है तो परिवार में 18 से 60 वर्ष उम्र की महिला सदस्यों में से वरिष्ठतम महिला।

7.2.1.3 प्राथमिकता 3 – यदि परिवार में 18 से 60 वर्ष उम्र की महिला नहीं है तो परिवार की कोई भी वयस्क महिला सदस्य, जिसे परिवार प्रस्तावित करें।

7.2.1.4 प्राथमिकता 4– यदि परिवार में कोइ भी महिला नहीं है तो परिवार के 18 से 60 वर्ष उम्र के वरिष्ठतम पुरुष सदस्य।

7.2.1.5 प्राथमिकता 5– यदि परिवार में 18 से 60 वर्ष उम्र का पुरूष नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क पुरूष सदस्य, जिसे परिवार प्रस्तावित करे।

7.2.2 महाविद्यालय– राज्य के समस्त महाविद्यालयों में प्रवेशित नियमित विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरण किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों में कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं माने जायेंगे।

8. स्काई पोर्टल–

8.1 चिप्स द्वारा परियोजना के सशक्त प्रबंधन और रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्काई पोर्टल (SKY Portal) विकसित किया जा रहा है।

8.2 इस पोर्टल में परियोजना का विवरण, हितग्राहियों की सूची, अधिसूचना, परिपत्र और निर्देश आदि होंगे।

8.3 जिला प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप पोर्टल में अन्य व्यवस्थाएं भी की जायेगी।

8.4 इस पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा संबंधित अधिकारियों को प्रदान की जायेगी।

8.5 जिला प्रशासन एवं नोडल अधिकारी इस पोर्टल पर जानकारी अपडेट कर सकते है।

9. प्रशिक्षण–

9.1 चिप्स द्वारा प्रत्येक जिले के लिए दो या तीन जिला स्तरीय प्रशिक्षक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षक जिले के लिए मास्टर प्रशिक्षक होंगे।

9.2 जिले के मास्टर प्रशिक्षक जिले के अतर्गत समस्त नोडल अधिकारियों एवं परियोजना के क्रियान्वयन से जुड़े समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

9.3 सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को मास्टर प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9.4 चिप्स द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार की जाकर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

9.5 राज्य, संभाग, जिला स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चिप्स द्वारा कैलेण्डर जारी किया जाएगा।

9.6 विकासखंड एवं उससे नीचे के स्तर के प्रशिक्षण हेतु जिला प्रशासन द्वारा कैलेण्डर जारी किया जाएगा।

10. योजना का प्रचार–प्रसार–

10.1 योजना के प्रचार–प्रसार हेतु जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी प्रचार–प्रसार मार्गदर्शिका के अनुसार जिला प्रशासन विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा।

10.2 प्रचार–प्रसार के लिए सामग्री जनसंपर्क विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

11. कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित कार्य–

11.1 राज्य में आंशिक/अन–कनेक्टेड ग्राम पंचायतों की सूची **परिशिष्ट–2** में संलग्न है। इन चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी पहुंचाना योजना का प्रमुख लक्ष्य है।

11.2 इन चिन्हांकित ग्राम पंचायतों के ग्रामों में जिला प्रशासन द्वारा मोबाईल टॉवर स्थापित करने के लिए न्यूनतम तीन साईट्स की पहचान करनी होगी। साईट्स की पहचान करने के लिए निम्नलिखित चेक लिस्ट का उपयोग किया जा सकता है–

11.2.1 साईट यदि भूमि है तो भूमि का क्षेत्र 50X50 वर्गफीट हो।

11.2.2 साईट यदि भवन की छत है तो छत का क्षेत्र 35X35 वर्गफीट हो।

11.2.3 साईट (भूमि तथा भवन) अतिक्रमण से मुक्त हो।

11.2.4 साईट की भूमि/भवन अविवादित हो।

11.2.5 साईट की भूमि दलदली न हो

11.2.6 साईट के समीप विद्युत उपलब्धता हो।

11.2.7 साईट घनी आबादी वाले क्षेत्र में हो।

11.3 कंसोर्टियम को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त मोबाईल आपरेटर इन साईट्स का परीक्षण करेगा और इसके उपरांत उनमें से उचित साईट का चयन करेगा। यदि उनमें से कोई साईट उचित न हो तो विकल्प के रूप में न्यूनतम दो साईट्स चिन्हांकन कर साईट्स की सूची जिला प्रशासन को सौंपेगा तथा स्काई पोर्टल में अपलोड करेगा।

11.4 जिला प्रशासन राजस्व अमले को मोबाईल आपरेटर द्वारा कनेक्टिविटी विस्तार हेतु किये जा रहे साईट चिन्हांकन में सहयोग करने के निर्देश देगा, साथ ही वांछित राजस्व अभिलेख उपलब्ध कराएगा।

11.5 कंसोर्टियम द्वारा चिन्हांकित साईटों में से कलेक्टर द्वारा एक उपयुक्त साईट का चिन्हांकन किया जायेगा। कंसोर्टियम समस्त जिलों की कलेक्टर द्वारा अनुमोदित साईटों की जानकारी चिप्स को प्रस्तुत करेगा, जिसे F- NAP (Final- Network Augmentation Plan) कहा जायेगा।

11.6 जिला प्रशासन द्वारा कंसोर्टियम को दूरसंचार उपकरणों को साईट तक पहुँचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जायेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो साईट पर सुरक्षा प्रदान की जावेगी।

11.7 मोबाईल टॉवर हेतु भूमि एवं भवन का आबंटन–

11.7.1 जिले में पदस्थ प्रभारी अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी, जो कम से कम डिप्टी कलेक्टर स्तर के हों, चिप्स की ओर से, मोबाइल टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भूमि के निःशुल्क आबंटन एवं शासकीय भवनों की छत के निःशुल्क उपयोग करने हेतु आवेदन करने एवं भूमि/भवन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

11.7.2 मोबाइल टॉवर हेतु भूमि/भवन के आवंटन के आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर यथा शीघ्र शासकीय भूमि/भवन का निःशुल्क आवंटन चिप्स को करेगा।

11.7.3 चिप्स, आवंटित हेतु भूमि/भवन को कंसोर्टियम को लीज पर निश्चित समयावधि के लिए उपलब्ध करायेगा।

11.8 कंसोर्टियम चयनित साईटों की जानकारी स्काई पोर्टल पर अपलोड करेगा। जिला प्रशासन कार्य की प्रगति की समीक्षा (F-NAP) अनुसार समय–समय पर करेगा।

12 मोबाईल टॉवर की स्थापना के लिए राईट ऑफ वे संबंधित कार्य–

12.1 मोबाईल टॉवर स्थापित करने के लिए –

12.1.1 चिप्स द्वारा राईट ऑफ वे की अनुमति हेतु (राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल्वे एवं वनभूमि को छोड़कर) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया जायेगा और विभाग द्वारा तत्संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

12.1.2 राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल्वे एवं वनभूमि के लिए इन विभागों की निर्धारित प्रकिया के अनुरूप, आवश्यक दस्तावेजों तथा अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए कंसोर्टियम जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रदान करेगा। जिला कलेक्टर आवेदन के एक सप्ताह की समय–सीमा में समस्त संबंधित विभागों से समन्वय कर राईट ऑफ वे संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र कंसोर्टियम को प्रदान करेगा। इस कार्य में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट – 3 में संलग्न है।

12.1.3 इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए कंसोर्टियम राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल्वे एवं वनभूमि के लिए राईट ऑफ वे की अनुमति हेतु संबंधित विभागों में आवेदन करेगा एवं राईट ऑफ वे की अनुमति प्राप्त करेगा।

13. विकासखंड स्तरीय सेवा तथा संग्रहण केन्द्र–

13.1 कंसोर्टियम द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर एक स्मार्ट फोन संग्रहण केन्द्र, वितरण कार्य के एक सप्ताह पूर्व, स्थापित किया जायेगा।

13.2 इस केन्द्र पर कंसोर्टियम द्वारा पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन की व्यवस्था की जायेगी।

13.3 इस केन्द्र में कंसोर्टियम द्वारा स्मार्ट फोन के सामान्य मरम्मत की व्यवस्था की जायेगी।

13.4 यदि स्मार्ट फोन की मरम्मत केन्द्र में नही हो पाती है तो, उसे राज्य स्तरीय सेवा केन्द्र में समय–सीमा में मरम्मत/बदलने हेतु भेजा जायेगा।

13.5 कंसोर्टियम द्वारा प्रति माह/आवश्यकतानुसार स्काई पोर्टल में स्मार्ट फोन मरम्मत और बदलने की संख्या अपलोड की जाएगी।

14. हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा चयन –

14.1 ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा चयन इस प्रकार होगा –

14.1.1 समाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 अनुसार तैयार संभावित हितग्राहियों की सूची चिप्स द्वारा स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। नोडल अधिकारी द्वारा इस सूची का प्रकाशन ग्राम पंचायत भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जायेगा।

14.1.2 तत्पश्चात् जिला प्रशासन हितग्राहियों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। जिसका विस्तृत विवरण **परिषिष्ट– 3** में है।

14.1.3 पंजीयन उपरांत नोडल अधिकारी हितग्राहियों की पूर्व प्रेषित सूची से पंजीयन में प्राप्त आवेदनों का मिलान एवं परीक्षण करेगा तथा पात्रता अनुसार हितग्राहियों के नामों को सुधारेगा, कम करेगा या जोड़ेगा और एक ड्राफ्ट अंतिम सूची तैयार करेगा।

14.1.4 हितग्राहियों की अंतिम सूची पर दावा–आपत्ति आमंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेगा। दावा–आपत्ति के लिए 7 दिवस का समय दिया जायेगा।

14.1.5 दावा–आपत्ति उपरांत प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14.1.6 जिला प्रशासन द्वारा हितग्राहियों की सूची का ग्राम सभा से अनुमोदन के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। ग्राम सभा में नोडल अधिकारी दावा–आपत्ति उपरांत तैयार हितग्राहियों की चयन सूची का पठन करेगा। ग्राम सभा मार्गदर्शिका में वर्णित पात्रता अनुसार इस सूची में परिवर्तन कर अनुमोदन करेगी। यह हितग्राहियों की अंतिम चयन सूची मानी जायेगी।

14.1.7 हितग्राहियों की ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित अंतिम चयन सूची को नोडल अधिकारी स्काई पोर्टल पर अपलोड करेगा।

14.2 नगरीय क्षेत्र में हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा चयन इस प्रकार होगा –

14.2.1 नगरीय विकास विभाग द्वारा संभावित हितग्राहियों की सूची स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

14.2.2 जिला प्रशासन नगरीय निकायों में हितग्राहियों के पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। जिसका विस्तृत विवरण **परिषिष्ट– 3** में है।

14.2.3 पंजीयन उपरांत नोडल अधिकारी नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रेषित हितग्राहियों की सूची से पंजीयन में प्राप्त आवेदनों का मिलान एवं परीक्षण करेगा तथा पात्रता अनुसार हितग्राहियों के नामों को सुधारेगा, कम करेगा या जोड़ेगा और एक ड्राफ्ट अंतिम सूची तैयार करेगा।

14.2.4 हितग्राहियों की ड्राफ्ट अंतिम सूची पर दावा–आपत्ति आमंत्रित करने के लिए नगरीय निकायों के भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करेगा। दावा–आपत्ति के लिए 7 दिवस का समय दिया जायेगा।

14.2.5 दावा–आपत्ति उपरांत प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14.2.6 नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उक्त सूची को महापौर/अध्यक्ष परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा परिषद् द्वारा सुझाए गए नामों को सुधारेगा, कम करेगा या जोड़ेगा। उपरोक्त अनुमोदित सूची अंतिम रूप से मान्य होगी तथा अनुमोदित सूची नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी द्वारा स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

14.3 महाविद्यालयों में हितग्राहियों का चिन्हांकन तथा चयन इस प्रकार होगा –

14.3.1 राज्य के समस्त महाविद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थी योजना के हितग्राही होंगे।

14.3.2 महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा सभी प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची (जो योजनांतर्गत हितग्राही हैं) स्काई पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

14.3.3 विद्यार्थियों की ड्राफ्ट अंतिम सूची पर दावा–आपत्ति आमंत्रित करने के लिए महाविद्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करेगा। दावा–आपत्ति के लिए 7 दिवस का समय दिया जायेगा।

14.3.4 दावा–आपत्ति उपरांत प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निराकरण नियमानुसार संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

14.3.5 पंजीयन उपरांत महाविद्यालय का नोडल अधिकारी जिला प्रशासन अथवा उच्च शिक्षा विभाग/तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि से अनुमोदन प्राप्त कर एक ड्राफ्ट अंतिम सूची तैयार कर महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करेगा।

14.3.6 महाविद्यालय के नोडल अधिकारी उक्त सूची को उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि/समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा उनके द्वारा सुझाए गए नामों को सुधारेगा, कम करेगा या जोड़ेगा। उपरोक्त अनुमोदित सूची अंतिम रूप से मान्य होगी तथा अनुमोदित सूची महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

15. स्मार्टफोन का वितरण –

15.1 स्मार्ट फोन के वितरण हेतु चिप्स द्वारा एक संभावित कार्य योजना– वृहद वितरण योजना (Broad Distribution Plan - BDP) बनाई गयी है, जो इस मार्गदर्शिका के **परिषिष्ट– 5** पर संलग्न है।

15.2 इस वृहद वितरण योजना (Broad Distribution Plan - BDP) में विकासखण्डवार वितरित किये जाने वाले स्मार्ट फोन की संख्या तथा वितरण का माह दर्शाया गया है। वितरण माह का पालन जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम को आवश्यक रूप से करना है।

15.3 चिप्स से कंसोर्टियम का अनुबंध निष्पादित होने के 15 दिवस में कंसोर्टियम द्वारा वितरण केन्द्रवार वितरण कार्य योजना– विस्तृत वितरण योजना (Detailed Distribution Plan - DDP) चिप्स को उपलब्ध करायी जायेगी। विस्तृत वितरण योजना (Detailed Distribution Plan - DDP) में ई–केवाईसी की तिथियाँ भी निर्धारित की जायेगी। यह योजना स्काई पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

15.4 जिला प्रशासन, जिले के जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित करेगा, जिसमें कंसोर्टियम का प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा। बैठक में कंसोर्टियम द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों एवं जिला प्रशासन के समक्ष विस्तृत वितरण योजना (Detailed Distribution Plan - DDP) प्रस्तुत की जायेगी। इस विस्तृत वितरण योजना (Detailed Distribution Plan - DDP) की प्रतियाँ जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बैठक में प्राप्त सुझाव के आधार पर जिला कलेक्टर अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) अनुमोदित करेगा। यह अनुमोदित अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) होगी जिसमें वितरण एवं ई–केवाईसी की तिथियाँ भी सम्मिलित होंगी। इसे

जिला प्रशासन स्काई पोर्टल पर अपलोड करेगा। ई-केवाईसी वितरण के दिन या उससे 5 दिवस पूर्व शुरू किया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय कंसोर्टियम का होगा।

15.5 उपरोक्त अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) की तिथियों को जिला प्रशासन, विकासखण्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय अधिकारी व्यापक रूप से प्रचारित करेंगे।

15.6 ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन का वितरण –

15.6.1 अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) अनुसार ई-केवाईसी एवं स्मार्टफोन का वितरण करने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर स्काई मेला का आयोजन किया जायेगा। यदि ई-केवाईसी वितरण से पहले शुरू होता है तो कंसोर्टियम इसकी व्यवस्था नोडल अधिकारी के समन्वय के साथ स्वयं करेगा।

15.6.2 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से ई-केवाईसी एव वितरण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

15.6.3 नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर ई-केवाईसी एव स्मार्ट फोन वितरण की तिथि को प्रकाशित करेगा। इसी के साथ हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई-केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

15.6.4 स्मार्ट फोन वितरण एवं ई-केवाईसी की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

15.6.5 ई-केवाईसी एवं स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम का प्रतिनिधि नोडल अधिकारी से समन्वय कर स्मार्ट फोन की पर्याप्त संख्या एवं मानव-संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

15.6.6 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि स्मार्ट फोन प्राप्त करने एवं ई-केवाईसी के लिए समस्त हितग्राही वितरण केन्द्र तक पहुँचे। इस हेतु जिला प्रशासन सूचना प्रदान करने एवं वितरण हेतु अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकता है।

15.6.7 कंसोर्टियम द्वारा वितरण करने के पूर्व वितरण केन्द्रवार हितग्राही की सूची स्काई पोर्टल से प्रिंट करनी होगी। हितग्राहियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने के पश्चात् इस सूची पर हितग्राहियों से स्मार्ट फोन प्राप्त करने की पावती के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जायेगा। इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर

नोडल अधिकारी एवं कंसोर्टियम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर अपना नाम अंकित किया जायेगा। इसके उपरांत इस सूची की एक प्रति जिला प्रशासन को कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

15.6.8 कंसोर्टियम वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा। इस कार्य में कंसोर्टियम सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी की सहायता ले सकता है।

15.6.9 जिला प्रशासन स्मार्ट फोन वितरण के समय वितरण केन्द्र पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

15.7 नगरीय क्षेत्रों में स्मार्टफोन का वितरण –

15.7.1 अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) अनुसार ई–केवाईसी एवं स्मार्टफोन का वितरण करने हेतु प्रत्येक वितरण केन्द्र/नगर स्तर पर स्काई मेला का आयोजन किया जायेगा। यदि ई–केवाईसी वितरण से पहले शुरू होता है तो कंसोर्टियम इसकी व्यवस्था नोडल अधिकारी के समन्वय के साथ स्वयं करेगा।

15.7.2 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से ई–केवाईसी एवं वितरण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

15.7.3 जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से ई–केवाईसी एवं स्मार्ट फोन के वितरण की केन्द्रवार तिथि नगरीय निकायों के भवनों में चस्पा करवायेगा तथा नगर में सार्वजनिक स्थलों पर मुनादी करवायेगा। इसी के साथ हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई–केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

15.7.4 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि ई–केवाईसी एवं स्मार्ट फोन वितरण के लिए समस्त हितग्राही वितरण केन्द्र तक पहुँचे। इस हेतु जिला/नगरीय प्रशासन अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकता है।

15.7.5 कंसोर्टियम द्वारा ई–केवाईसी एवं वितरण करने के पूर्व वितरण केन्द्रवार हितग्राही की सूची स्काई पोर्टल से प्रिंट करनी होगी। हितग्राहियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने के पश्चात् इस सूची पर हितग्राहियों से स्मार्ट फोन प्राप्त

करने की पावती ली जायेगी। इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नोडल अधिकारी एवं कंसोर्टियम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर अपना नाम अंकित किया जायेगा। इसके उपरांत इस सूची की एक प्रति जिला प्रशासन को कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

15.7.6 ई–केवाईसी एवं स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम का प्रतिनिधि नोडल अधिकारी से समन्वय कर स्मार्ट फोन की पर्याप्त संख्या एवं मानव–संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

15.7.7 ई–केवाईसी एवं स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

15.7.8 कंसोर्टियम वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा। इस कार्य में कंसोर्टियम सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी की सहायता ले सकता है।

15.7.9 जिला प्रशासन स्मार्ट फोन वितरण के समय वितरण केन्द्र पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

15.8 महाविद्यालयों में स्मार्टफोन का वितरण –

15.8.1 अंतिम वितरण योजना (Final Distribution Plan - FDP) अनुसार स्मार्टफोन का वितरण करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय/नगर स्तर पर स्काई मेला का आयोजन किया जायेगा।

15.8.2 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से वितरण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

15.8.3 महाविद्यालय के नोडल अधिकारी द्वारा समस्त विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन के वितरण की तिथि से अवगत करवायेगा। इसी के साथ विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई–केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

15.8.4 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि स्मार्ट फोन वितरण के लिए समस्त विद्यार्थी वितरण केन्द्र तक पहुँचे। इस हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकता है।

15.8.5 स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

15.8.6 कंसोर्टियम द्वारा वितरण करने के पूर्व वितरण महाविद्यालय के हितग्राहियों की सूची स्काई पोर्टल से प्रिंट करनी होगी। हितग्राहियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने के पश्चात् इस सूची पर हितग्राहियों से स्मार्ट फोन प्राप्त करने की पावती के रूप में हस्ताक्षर लिए जायेंगे। इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नोडल अधिकारी एवं कंसोर्टियम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर अपना नाम अंकित किया जायेगा। इसके उपरांत इस सूची की एक प्रति जिला प्रशासन को कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

15.8.7 स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम के प्रतिनिधि, नोडल अधिकारी से समन्वय कर स्मार्ट फोन की पर्याप्त संख्या एवं मानव–संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

15.8.8 कंसोर्टियम वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा। इस कार्य में कंसोर्टियम सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी की सहायता ले सकता है।

16. वितरण में बचे हुए स्मार्टफोन का पुनः वितरण –

16.1 ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट फोन का पुनः वितरण –

16.1.1 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फोन कंसोर्टियम अपने आधिपत्य में रखेगा।

16.1.2 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फोन को पुनः वितरण करने की प्रक्रिया 15 दिवस में की जायेगी।

16.1.3 जिला प्रशासन कंसोर्टियम के साथ समन्वय कर बचे हुए स्मार्ट फोन के पुनर्वितरण करने की तिथि निर्धारित करेगा।

16.1.4 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से पुनः वितरण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

16.1.5 नोडल अधिकारी ग्राम पंचायत भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुनः स्मार्ट फोन वितरण की तिथि को प्रकाशित करेगा। इसी के साथ छूटे हुए हितग्राहियों

को स्मार्ट फोन वितरण के समय इ–कवाइसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

16.1.6 स्मार्ट फोन पुनः वितरण की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगा।

16.1.7 कंसोर्टियम द्वारा पुनः वितरण करने के पूर्व वितरण केन्द्रवार छूटे हुए हितग्राही की सूची स्काई पोर्टल से प्रिंट करनी होगी। हितग्राहियों को स्मार्ट फोन प्रदान करने के पश्चात् इस सूची पर हितग्राहियों से स्मार्ट फोन प्राप्त करने की पावती के रूप में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जायेगा। इस सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर नोडल अधिकारी एवं कंसोर्टियम के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर अपना नाम अंकित किया जायेगा। इसके उपरांत इस सूची की एक प्रति जिला प्रशासन को कंसोर्टियम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

16.1.8 स्मार्ट फोन पुनः वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम को बचे हुए स्मार्ट फोन एवं मानव–संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

16.1.9 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए बचे हुए हितग्राही वितरण केन्द्र तक पहुँचे। इस हेतु जिला प्रशासन सूचना प्रदान करने एवं पुनः वितरण हेतु अन्य ग्राम स्तरीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकता है।

16.1.10 कंसोर्टियम पुनः वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा। इस कार्य में कंसोर्टियम सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी की सहायता ले सकता है।

16.1.11 पुनर्वितरण के पश्चात् भी यदि कोई हितग्राही स्मार्ट फोन पाने से वंचित रह जाता है तो आगे की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

16.2 नगरीय क्षेत्र में स्मार्ट फोन का पुनर्वितरण –

16.2.1 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फोन कंसोर्टियम अपने आधिपत्य में रखेगा।

16.2.2 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फोन को पुनः वितरण करने की प्रक्रिया 15 दिवस में की जायेगी।

16.2.3 जिला प्रशासन कंसोर्टियम के साथ समन्वय कर बचे हुए स्मार्ट फोन के पुनर्वितरण की तिथि निर्धारित करेगा।

16.2.4 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से पुनर्वितरण कार्य को पूण करना सुनिश्चित करेंगे।

16.2.5 नोडल अधिकारी नगरीय निकायों के भवनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पुनः स्मार्ट फोन वितरण की तिथि को प्रकाशित करेगा। इसी के साथ हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई–केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

16.2.6 स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

16.2.7 जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से स्मार्ट फोन के वितरण की केन्द्रवार तिथि नगरीय निकायों के भवनों में चस्पा करवायेगा तथा नगर में सार्वजनिक स्थलों पर मुनादी करवायेगा। इसी के साथ हितग्राहियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई–केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आंने की सूचना दी जायेगी।

16.2.8 स्मार्ट फोन पुनर्वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम को बचे हुए स्मार्ट फोन एवं मानव–संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

16.2.9 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए छूटे हुए हितग्राही वितरण केन्द्र तक पहुँचे। इस हेतु जिला प्रशासन सूचना प्रदान करने एवं पुनर्वितरण हेतु अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकता है।

16.2.10 कंसोर्टियम पुनर्वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा।

16.2.11 पुनर्वितरण के पश्चात् यदि स्मार्ट फोन शेष रहते है तो कंसोर्टियम उन्हें अन्य स्थान पर वितरित कर सकता है।

16.3 महाविद्यालयों मे स्मार्ट फोन का पुनर्वितरण –

16.3.1 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फ़ोन कंसोर्टियम अपने आधिपत्य में रखेगा।

16.3.2 प्रथम वितरण के पश्चात् बचे हुए स्मार्ट फोन को पुनर्वितरण करने की प्रक्रिया 15 दिवस में की जायेगी।

16.3.3 जिला प्रशासन कंसोर्टियम के साथ समन्वय कर बचे हुए स्मार्ट फोन के पुनर्वितरण की तिथि निर्धारित करेगा।

16.3.4 जिला प्रशासन एवं कंसोर्टियम आपसी समन्वय से पुनर्वितरण कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

16.3.5 नोडल अधिकारी महाविद्यालय में छूटे हुए विद्यार्थियों को पुनः स्मार्ट फोन वितरण की तिथि से अवगत करायेंगे। इसी के साथ विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरण के समय ई–केवाईसी हेतु आधार कार्ड लेकर आने की सूचना दी जायेगी।

16.3.6 स्मार्ट फोन वितरण की नियत तिथि के पूर्व नोडल अधिकारी वितरण केन्द्र पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

16.3.7 स्मार्ट फोन पुनर्वितरण की नियत तिथि के पूर्व कंसोर्टियम को बचे हुए स्मार्ट फोन एवं मानव–संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।

16.3.8 नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि स्मार्ट फोन प्राप्त करने के लिए छूटे हुए विद्यार्थी वितरण केन्द्र तक पहुँचे।

16.3.9 कंसोर्टियम पुनर्वितरित किए गए हितग्राहियों की जानकारी स्काई पोर्टल पर उसी दिन अपलोड करेगा।

16.3.10 पुनर्वितरण के पश्चात् यदि स्मार्ट फोन शेष रहते है तो कंसोर्टियम उन्हें अन्य स्थान पर वितरित कर सकता है।

17. **मोबाईल की वारंटी–**

17.1 योजनांतर्गत वितरित किए गए स्मार्ट फोन की वारंटी अवधि एक वर्ष होगी।

17.2 स्मार्ट फोन में समैंस्या आने पर हितग्राही विकासखण्ड मुख्यालय में स्थापित संग्रहण केन्द्र या रायपुर में स्थापित सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकता है।

17.3 हितग्राही स्मार्ट फोन में समस्या आने पर कॉल सेंटर से भी संपर्क कर सकता है। जिसका संपर्क नंबर स्मार्ट फोन के बॉक्स/स्काई पोर्टल में उपलब्ध रहेगा।

परिषिष्ट – 1

छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना की अधिसूचना

छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक-- 31 अगस्त, 2017

एफ 4-12/56/2017/इसूप्रौ/ राज्य शासन एतद्द्वारा, 'छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (स्काई) अधिसूचित करता है–

1. **योजना का नाम – "छत्तीसगढ संचार क्रांति योजना"** (स्काई) होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार, शहरी गरीब परिवार एवं कॉलेज के युवाओं को निःशुल्क मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाएंगे। परिवार में महिला होने की स्थिति मे महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा।

2. **योजना का उद्देश्य–** छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

2.1 राज्य के मोबाइल कनेक्टिविटी से असंबद्ध विभिन्न क्षेत्रों मे मोबाईल कनेक्टिविटी प्रदाय करने का प्रयास।

2.2 स्मार्ट फोन के उपयोग के माध्यम से राज्य में आर्थिक गतिविधि बढ़ाना।

2.3 मोबाइल के उपयोग से जेंडर सशक्तिकरण का कार्य करना।

2.4 जन धन, आधार और स्मार्टफोन के माध्यम से सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक स्तर पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण लागू करना।

2.5 डिजिटल भुगतान और पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेश एव बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना।

2.6 सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराना।

2.7 नागरिक, स्मार्ट फोन का उपयोग शासन में साझेदारी, शासकीय और निजी सेवाओं तक पहुँच के लिए कर सके ।

3. योजना की अवधि–

3.1 यह योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।

3.2 योजना के प्रथम चरण में वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी ग्रामीण परिवारों तथा 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रुप से उपलब्ध है, के ग्रामीण परिवारो, शहरी गरीब परिवारों एवं कॉलेज के युवाओं को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

3.3 योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2019–20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गांव जहा मोबाईल कवरेज उपलब्ध नही है, के सभी ग्रामीण परिवारों को स्मार्ट फोन प्रदान किया जाए।

3.4 परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा।

4. योजना का स्वरूप –

4.1 योजना में प्रत्येक ग्रामीण परिवार की महिला प्रमुखों, शहरी गरीब परिवार की महिला प्रमुखो और कॉलेज के युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए मोबाइल फोन वितरित किये जाएंगे। परिवार में महिला होने की स्थिति में महिला को ही मोबाईल वितरीत किया जाएगा।

4.2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा स्वयं के खर्च पर नेटवर्क विस्तारित करने का प्रयास किया जायेगा।

4.3 जिस हितग्राही को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा, उसका फोन–नंबर पूर्व आवंटित होगा, यह आधार और बैंक खाता से भी जुड़ा होगा। इससे हितग्राही. फोन निरन्तर रखने हेतु प्रोत्साहित होगा।

4.4 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल मरम्मत और रखरखाव का स्वरोजगार विस्तारित होगा।

4.5 योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से क्रियान्वयन एजेंसी चिप्स द्वारा किया जाएगा।

5. **योजना की लागत / बजट–**

5.1 योजना की अनुमानित लागत रु. 1230 करोड होगी।

5.2 योजना हेतु आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग, योजना का क्रियान्वयन चिप्स के माध्यम से करेगा।

5.3 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रदान करने का [illegible] चिप्स का होगा।

भौतिक लक्ष्य –

6.1 इस योजनांतर्गत भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है:–

चरण	प्राप्तकर्त्ता	संख्या	कुल
प्रथम	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आधार पर चिंन्हित ग्रामीण परिवार (1000 जनसंख्या एवं 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे सभी गांव जहां मोबाईल कवरेज पूर्ण या आंशिक रुप से उपलब्ध वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	40.1 लाख	50.8 लाख
	नगरीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परिभाषा अनुसार चिन्हित शहरी गरीब परिवार	5.6 लाख	
	तकनीकी एवं गैर तकनीकी कालेज विद्यार्थी	5.1 लाख	
द्वितीय	वर्ष 2019–20 (1000 जनसंख्या वाले ग्रामों के ग्रामीण परिवार)	4.8 लाख	4.8 लाख
		योग	55.6 लाख

7. वित्तीय व्यवस्था –

7.1 <u>प्रथम चरण के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य</u> :

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 2017–18 से 2018–19	**50.8 लाख**	**1128.00**

7.2 <u>द्वितीय चरण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य</u> :

वितरण अवधि	स्मार्ट फोन की संख्या	वित्तीय लागत (करोड़ में)
वर्ष 3 (2019–20)	4.8 लाख	102.00
योग	**4.9 लाख**	**102.00**

8 योजना का क्रियान्वयन—

8.1 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी। मोबाईल फोन का वितरण जिला कलेक्टर द्वारा राशन दुकान पंचायत भवन अथवा सुविधानुसार अन्य निश्चित स्थान से किया जाएगा।

8.2 जिला कलेक्टर, वितरण योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे और समय पर वितरण सुनिश्चित करेंगे।

8.3 हितग्राहियों का चयन ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत एव ग्रामीण विकास विभाग, शहरी क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग तथा कॉलेज में युवाओं का चयन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

8.4 जनसंपर्क विभाग द्वारा स्मार्ट फोन पर उपलब्ध कराये जाने वाले कंटेन्ट तैयार कराये जाएंगे।

8.5 खरीद, वितरण, रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए चिप्स मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) का विकास करेगा। जिला कलेक्टर एसओपी के अनुसार फोन वितरित करेंगे और वितरण की जानकारी के साथ हितग्राही का विवरण चिप्स को उपलब्ध करायेंगे।

8.6 हितग्राहियों की सूची www.chips.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी।

8.7 मोबाइल आपूर्तिकर्ता के तकनीशियनों द्वारा मोबाईल मरम्मत/सेवा केन्द्र का संचालन एवं मोबाइल मरम्मत का प्रशिक्षण कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के माध्यम से किया जाएगा ।

8.8 योजना के क्रियान्वयन हेतु चिप्स द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जायेगी।

8.9 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु शासकीय भवनों की छत निःशुल्क उपयोग करने की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान की जायेगी।

8.10 योजना अंतर्गत टॉवर की स्थापना हेतु राजस्व विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को शासकीय भूमि का निःशुल्क आबंटन किया जाएगा ।

8.11 परियोजना अंतर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निःशुल्क राईट ऑफ वे (राष्ट्रीय राजमार्ग, वन एवं रेल्वे की भूमि छोड़कर) दिया जाएगा ।

9. उच्च अधिकार प्राप्त समिति की संरचना–

9.1 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा, जो इस प्रकार होगी–

1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
6	प्रमुख सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
7	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग	सदस्य
8	सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सदस्य
9	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स	सदस्य सचिव
10	अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार सदस्य बढ़ाए जा सकेंगे।	

9.2 उच्च अधिकार प्राप्त समिति के कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे–

9.2.1 योजना के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान करना।

9.2.2 योजना के लिए वित्तीय प्रबंधन करना।

9.2.3 योजना के अंतर्गत चिन्हिंत हितग्राहियों के अलावा किसी अन्य वर्ग को शामिल करने का अधिकार उच्च अधिकार प्राप्त समिति को प्राप्त होगा।

9.2.4 हितग्राहियों के चयन हेतु अर्हता एवं वितरण योजना का आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना।

9.2.5 योजना के क्रियान्वयन और प्रगति की समीक्षा करना।

9.2.6 अंतर्विभागीय समन्वय करना।

10. मॉनिटरिंग–

10.1 इस योजना की निगरानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाएगी।

10.2 परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए चिप्स परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेगी।

10.3 परियोजना प्रबंधन इकाई इस योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और अनुश्रवण प्रारूप का विकास करेगा।

10.4 योजना के क्रियान्वयन, स्पष्टीकरण एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश या संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्राधिकृत होगा ।

(संजय शुक्ला) 31/8/17
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

क्रमांक एफ 4–12/56/2017/इ.सू.प्रौ नया रायपुर, दिनांक– 31 अगस्त 2017

प्रतिलिपि–

1. शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, विधानसभा रोड, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. विभागाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कलेक्टर, छत्तीसगढ़ (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, की ओर राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट – 2

राज्य के आंशिक/अनकनेक्टेड ग्राम पंचायतों की सूची

(प्रारूप)

S. No.	GP Name	GP Code	Block Name	Block Code	District Name	District Code
1	PACHERA	124405	Dondi	3322	Balod	422
2	PATELI	124406	Dondi	3322	Balod	422
3	SALHE	124412	Dondi	3322	Balod	422
4	SINGANWAHI	124413	Dondi	3322	Balod	422
5	SINGHOLA	124414	Dondi	3322	Balod	422
6	BADAJUNGERA	124427	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
7	BAGAIKONHA	124429	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
8	CHE.B.NAWAGAON	124445	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
9	GAHIRA NAWAGAON	124453	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
10	KAMKAPAR	124467	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
11	KENWAT NAWAGAON	124473	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
12	KHARTHULI	124478	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
13	KILLEKODA	124481	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
14	KODEKASA	124485	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
15	SAMBALPUR (K)	124515	Dondi_Luhara	3320	Balod	422
16	BARBASPUR	124601	Gunderdehi	3319	Balod	422
17	BHATAGAON-B	124605	Gunderdehi	3319	Balod	422
18	KHUTERI	124652	Gunderdehi	3319	Balod	422
19	KODEWA	124654	Gunderdehi	3319	Balod	422
20	OTEBAND	124671	Gunderdehi	3319	Balod	422
21	RAJOLI	124682	Gunderdehi	3319	Balod	422
22	SALOUNI	124689	Gunderdehi	3319	Balod	422
23	SAREKHA	124692	Gunderdehi	3319	Balod	422
24	TAMORA	124699	Gunderdehi	3319	Balod	422
25	TAWERA	124700	Gunderdehi	3319	Balod	422
26	DHANAPURI	124735	Gurur	3323	Balod	422
27	PARSULI	124758	Gurur	3323	Balod	422

परिशिष्ट— 3

हितग्राही के पंजीयन की प्रक्रिया

3.1 हितग्राहियों के चयन के अंतर्गत हितग्राहियों की पंजीयन की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी–

3.1.1 जिला प्रशासन हितग्राहियों के पंजीकरण हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर चिप्स एवं नोडल अधिकारी को अवगत करायेगा।

3.1.2 जिला प्रशासन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि समस्त नोडल अधिकारी सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी एवं हितग्राहियों को अवगत करायेगा।

3.1.3 जिला प्रशासन वितरण केन्द्र के नोडल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करायेगा।

3.1.4 नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित तिथि पर संबंधित क्षेत्र में जाकर फॉर्म वितरण शिविर का आयोजन करेगा तथा भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करेगा।

3.1.5 उपरोक्त भरे हुए आवेदन पत्र नोडल अधिकारी निकट की सामान्य सेवा केंद्र को देगा।

3.1.6 सामान्य सेवा केन्द्र का उद्यमी इन प्रपत्रों की जानकारी को चिप्स पोर्टल में अपलोड करेगा तथा अपलोड उपरांत फॉर्म नोडल अधिकारी को देगा।

3.1.7 सामान्य सेवा केन्द्र से प्राप्त फॉर्म जिला प्रशासन सुरक्षित रखेगा तथा आवश्यकता होने पर चिप्स/शासन को उपलब्ध करायेगा।

3.1.8 पंजीयन कार्य हेतु नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु अन्य कर्मियों की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा सकती है।

3.2 ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी –

3.2.1 चिप्स द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकरण हेतु तिथि निर्धारित कर स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी साथ ही जिला प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।

3.2.2 चिप्स द्वारा पंजीकरण फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

3.2.3 जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म का मुद्रण किया जायेगा तथा पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.2.4 जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयन तिथि ग्राम पंचायत भवन में चस्पा करायेगा तथा हाट–बाजार एवं सार्वजनिक स्थलों पर मुनादी करवायेगा।

3.2.5 जिला प्रशासन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि समस्त नोडल अधिकारी सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी एवं हितग्राहियों को अवगत करायेगा।

3.2.6 जिला प्रशासन वितरण केन्द्र के नोडल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करायेगा।

3.2.7 नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित तिथि पर संबंधित क्षेत्र में जाकर फॉर्म वितरण शिविर का आयोजन करेगा तथा भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करेगा।

3.2.8 नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पात्र परिवार/हितग्राही को पंजीयन फॉर्म उपलब्ध हो। उक्त फॉर्म को भरवाने हेतु नोडल अधिकारी सहयोगी कर्मियों से सहयोग प्राप्त करेगा।

3.2.9 नोडल अधिकारी फॉर्म भरवाने के पश्चात् हितग्राहियों को स्व–हस्ताक्षरित पावती प्रदान करेगा।

3.2.10 पंजीयन कार्य हेतु नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु अन्य कर्मियों की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा सकती है।

3.2.11 उपरोक्त भरे हुए आवेदन पत्र नोडल अधिकारी निकट की सामान्य सेवा केंद्र को देगा।

3.2.12 सामान्य सेवा केन्द्र का उद्यमी इन प्रपत्रों की जानकारी को चिप्स पोर्टल में अपलोड करेगा तथा अपलोड उपरांत फॉर्म नोडल अधिकारी को देगा।

3.2.13 सामान्य सेवा केन्द्र से प्राप्त फॉर्म जिला प्रशासन सुरक्षित रखेगा तथा आवश्यकता होने पर चिप्स/शासन को उपलब्ध करायेगा।

3.3 नगरीय क्षेत्रों में पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी –

3.3.1 चिप्स द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पंजीकरण हेतु तिथि निर्धारित कर स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी साथ ही जिला प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।

3.3.2 चिप्स द्वारा पंजीकरण फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

3.3.3 जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म का मुद्रण किया जायेगा तथा पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.3.4 जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयन तिथि नगरीय निकायों के भवनों में तथा नगर में सार्वजनिक स्थलों पर मुनादी करवायेगा।

3.3.5 जिला प्रशासन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि समस्त नोडल अधिकारी सामान्य सेवा केन्द्र के ग्राम स्तरीय उद्यमी एवं हितग्राहियों को अवगत करायेगा।

3.3.6 जिला प्रशासन वितरण केन्द्र के नोडल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करायेगा।

3.3.7 नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित तिथि पर संबंधित क्षेत्र में जाकर फॉर्म वितरण शिविर का आयोजन करेगा तथा भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करेगा।

3.3.8 नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक पात्र परिवार/हितग्राही को पंजीयन फॉर्म उपलब्ध हो। उक्त फॉर्म को भरवाने हेतु नोडल अधिकारी सहयोगी कर्मियों से सहयोग प्राप्त करेगा।

3.3.9 नोडल अधिकारी फॉर्म भरवाने के पश्चात् हितग्राहियों को स्व–हस्ताक्षरित पावती प्रदान करेगा।

3.3.10 पंजीयन कार्य हेतु नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु अन्य कर्मियों की ड्यूटी जिला प्रशासन द्वारा लगाई जा सकती है।

3.3.11 उपरोक्त भरे हुए आवेदन पत्र नोडल अधिकारी निकट की सामान्य सेवा केंद्र को देगा।

3.3.12 सामान्य सेवा केन्द्र का उद्यमी इन प्रपत्रों की जानकारी को चिप्स पोर्टल में अपलोड करेगा तथा अपलोड उपरांत फॉर्म नोडल अधिकारी को देगा।

3.3.13 सामान्य सेवा केन्द्र से प्राप्त फॉर्म जिला प्रशासन सुरक्षित रखेगा तथा आवश्यकता होने पर चिप्स/शासन को उपलब्ध करायेगा।

3.4 महाविद्यालयों में पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होगी –

3.4.1 चिप्स द्वारा महाविद्यालयों में पंजीकरण हेतु तिथि निर्धारित कर स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी साथ ही जिला प्रशासन को पत्र द्वारा सूचित किया जायेगा।

3.4.2 चिप्स द्वारा पंजीकरण फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी स्काई पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

3.4.3 जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त पंजीकरण फॉर्म का मुद्रण किया जायेगा तथा पर्याप्त संख्या में नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.4.4 जिला प्रशासन नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयन तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत करायी जायेगी। प्राचार्य द्वारा उक्त तिथि से समस्त विद्यार्थियों को अवगत कराया जायेगा।

3.4.5 जिला प्रशासन वितरण केन्द्र के नोडल अधिकारी को पर्याप्त मात्रा में पंजीकरण फॉर्म उपलब्ध करायेगा।

3.4.6 नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित तिथि पर संबंधित क्षेत्र में जाकर फॉर्म वितरण शिविर का आयोजन करेगा तथा भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करेगा।

3.4.7 महाविद्यालय का नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को पंजीयन फॉर्म उपलब्ध हो तथा वे फॉर्म की पूर्ति कर निश्चित समय–सीमा में नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेगा।

3.4.8 नोडल अधिकारी फॉर्म भरवाने के पश्चात् विद्यार्थी को स्व–हस्ताक्षरित पावती प्रदान करेगा।

3.4.9 भरे हुए आवेदन पत्र की जानकारी नोडल अधिकारी द्वारा स्काई पोर्टल पर अपलोड कराई जायेगी।

3.4.10 जानकारी अपलोड होने के पश्चात् महाविद्यालय द्वारा भरे हुए फॉर्म जिला प्रशासन को भेजे जायेंगे।

3.4.11 जिला प्रशासन इन फॉर्म को सुरक्षित रखेगा तथा आवश्यकता होने पर चिप्स/शासन को उपलब्ध करायेगा।

परिशिष्ट -- 4

हितग्राहियों के पंजीयन फॉर्म का प्रारूप

छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (CG-SKY) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के महिला प्रमुख को एक मुफ्त स्मार्टफोन सरकार द्वारा दिया जायेगा।

1. लाभार्थी को स्मार्टफोन और सिम के लिए कोई शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।
2. उपरोक्त KYC आंकड़ों के सफल सत्यापन और पुष्टि पर उम्मीदवार संबंधित ग्राम पंचायत वितरण केंद्र पर लागू नियमों और शर्तों के अंतर्गत 2019 में एक स्मार्टफोन प्राप्त करने के योग्य हो जायेगा।

आवेदक

आवेदक का नाम	
जन्म का वर्ष	
आधार नंबर	
SECC AHL टिन नंबर	

घरेलू विवरण

घर के मुखिया से संबंध	स्वयं / माँ / बहन / पत्नी / बेटी
घर के मुखिया का नाम	
पीडीएस कार्ड	
आधार नंबर	
मोबाइल नंबर	
परिवार के मुख्य व्यवसाय	कृषि / मजदूर / व्यापार / वेतनभोगी / कारीगर / बेरोजगार
गांव	
ग्राम पंचायत	
ब्लॉक	
जिला	

परिवार का विवरण

क्रम सं.	परिवार के सदस्य का नाम	लिंग	उम्र	परिवार के प्रमुख के साथ संबंध	आधार नंबर / मोबाइल नंबर
1					मोबाइल नं
2					मोबाइल नं
3					मोबाइल नं
4					मोबाइल नं
5					मोबाइल नं
6					मोबाइल नं
7					मोबाइल नं
8					मोबाइल नं
9					मोबाइल नं
10					मोबाइल नं

बैंक का विवरण

मेरे पास बैंक खाता नहीं है।

मेरे पास एक आधार वरीयता प्राप्त बैंक खाता है।

बैंक का नाम	
शाखा कोड	
बैंक खाता संख्या	

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, अपनी आधार संख्या, बायोमेट्रिक और / या One time PIN (ओटीपी) डेटा, CG SKY मोबाइल स्कीम के लिए आवेदन करने के उद्देश्य के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण और पीडीएस नंबर प्रदान करने की सहमति देता हूं।

मुझे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रानिक और आईटी विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ के अन्य कल्याणकारी सेवाओं सहित सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी साझा करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग पर कोई आपत्ति नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर

e-KYC पावती

e-KYC completion Date

e-KYC प्रमाणकर्ता का हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना (CG – SKY)

आवेदन पत्र संख्या 10304251678

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

पंजीकरण पावती

आवेदक का नाम	
AHL टिन नंबर	
मोबाइल नंबर	

SKY

परिशिष्ट – 5

स्मार्ट फोन वितरण के लिए वृहद वितरण योजना

District Name	2018					2019	Grand Total
	April	May	June	July	August	March	
Balod	59,589	96,549	13,752	39,538	31,164		1,69,890
Baloda_Bazar	9,190		1,99,082	32,464	48,781		2,78,974
Balrampur		3,420	34,632	20,754			1,19,297
Bastar	59,042	48,122	48,895	48,375	43,413		1,76,813
Bemetara	6,271	34,906	8,073	9,883			1,41,038
Bijapur		921		2,39,865	54,561		10,804
Bilaspur		40,197		5,343			3,34,623
Dakshin_Basta/ Dantewada		31.247	6,468		1,22,371		43,058
Dhamtari	12,653		18,800				1,53,824
Durg	1,58,781	42.764	1,28,677	16,030	33,353		3,30,222
Gariyaband	4,442		36,409	1,03,412	35,472		90,234
Janjgir_Champa	62,220	1,14.813	74,212	36,756			3,90,129
Jashpur		64.621	48,765	68,486	68,669		1,50,142
Kabeerdham	7,842		10,048	13,095			1,55,045
Kondagaon	55,302	17.654		38,069	1,25,493		86,051
Korba		17,489		24,907	13,854		1,81,051
Koriya		68,077		85,927	1,14,113		1,06,838
Mahasamund	10,537		18,131	79,971	51,326		2,28,708
Mungeli		2,451		2,537	7,677		1,33,748
Narayanpur		939		24,873	59,555		11,153
Raigarh		21,925	2,16,026		42,373		3,22,379
Raipur	1,55,826		2,40,277	53,816			4,38,476
Rajnandgaon	22,738	1,74,721	36,582	7,689			2,87,857
Sukma		13,188	7,945	8,432			28,822
Surajpur		1,14,606	44,232	1,432			1,67,270
Surguja	92,876	74,799		10,104	11,554		1,69,107
Uttar_Bastar/ Kanker	38,463	25,544	26,966				1,12,631
Remaining areas						2,61,921	2,61,921
Grand Total	**7,55,772**	**10,08,953**	**12,17,972**	**9,71,758**	**8,63,729**	**2,61,921**	**50,80,105**

Tentative District level Broad Distribution Plan including Rural Households, Urban Poor Households and College Students